24/10/24 पेश करने हेतु न्यायालय में अंतिम अवसर दिया जाता है। पत्रावली दिनांक 7/11/24 को पेश हो।

24/10/24

7/11/24 पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष
पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त
अवकाश में है। पत्रावली साबिक आदेश
दिनांक 12/11/24 को पेश हो।

आदेश से रीडर

12/11/24 पत्रावली पेश हुई। वादी - वादी अधि. अनु.। प्रतिवादी अधि. उप.। पत्रावली साबिक आदेशानुसार दिनांक 10/12/24 को पेश हो।

12/11/24

10/12/24 पत्रावली पेश हुई। आज स्थानीय बार
एसोसियशन के ... किया हुआ
है। पीठासीन अधि... कार्य
में व्यस्त है। पत्रावली ... आदेश
दिनांक 18/12/24 को पेश हो।

आज्ञा से रीडर

18/12/24 पत्रावली पेश हुई। वादी. प्रतिवादी अधि० उप० पत्रावली साबीक आदेश में दिनांक 7/1/25 को पेश हो

7/1/25 पत्रावली पेश हुई। वादीगण एवं वादी अधिवक्ता अनुपस्थित। वादीगण एवं वादी अधिवक्ता को नियमानुसार तीन बार आवाजें लगाई गई, परन्तु कोई उपस्थित नहीं आया। समय 5.50 PM हो चुका है। न्यायालय में वादीगण एवं वादी अधिवक्ता को पुन: एक बार आवाज लगवाई गई, परन्तु कोई उपस्थित नहीं आया। वादी एवं वादी अधिवक्ता के उपस्थित नहीं आने से वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अदम हाजरी-अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। तीन पि मोर इजलास सुनाया गया। डिक्री पर्चा जारी हो।
पत्रावली फॉमल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो तथा नम्बर से कम हो।

7/1/25

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6–7 जा0दी0)

न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी–अरूण कुमार जैन, आर.ए.एस.

1. लादी पुत्री गोपीलाल पत्नी शिवनन्दन आयु वयस्क निवासी पुर जिला भीलवाड़ा
2. राजी पुत्री गोपीलाल पत्नी घनश्याम आयु वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. गीतादेवी पुत्री गोपीलाल पत्नी जगदीश आयु वयस्क निवासी जवाहर नगर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
4. चन्दा पुत्री गोपीलाल पत्नी शिव आयु वयस्क निवासी जवाहर नगर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
5. सीता पुत्री गोपीलाल पत्नी भगवतीलाल आयु वयस्क निवासी जवाहर नगर, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1. दुर्गेश पुत्र गोपीलाल जाति विश्नोई उम्र वयस्क निवासी पुर तह0 एव जिला भीलवाड़ा
2. कैलाश पुत्र गोपीलाल जाति विश्नोई उम्र वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. रमेश पुत्र गोपीलाल जाति विश्नोई उम्र वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
5. उपपंजीयक, पंजीयन कार्यालय भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत् घोषणा, इन्द्राज दुरस्थी व स्थाई निषेधाज्ञा

प्रकरण संख्या 26/2010 राजस्व वाद

वादीगण एवं वादी अधिवक्ता श्री गणेश जोशी अनुपस्थित – इस वाद में आज तारीख 07.01.2025 को पीठासीन अधिकारी अरूण कुमार जैन, आर.ए.एस. सहायक कलक्टर भीलवाडा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर निम्न आदेश दिया गया है, जिसके अन्तर्गत डिक्री दी जाती है–

वादीगण एवं वादी अधिवक्ता के न्यायालय में उपस्थित नहीं होने से वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।

07/1/25

(अरूण कुमार जैन)
सहायक कलक्टर
भीलवाडा

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा